उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,
संख्या-26/4708/922014-75(अधि0)/2013,
लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-5-2013 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न करने, अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करते हुए कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध नहीं कराने, कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति-2014 की अवज्ञा करने, गम्भीर दुराचरण करने, सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 का उल्लंघन करने तथा सरकार की नीतियों की अवज्ञा करने आदि के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3080/92-2013-75(अधि0)/2013, दिनांक 29-8-2013 द्वारा श्री शिव लाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। तदोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4036/92-2013-75(अधि0)/2013, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 द्वारा श्री शिव लाल, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का निलम्बन समाप्त करते हुए उन्हें सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्व संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

2- प्रकरण में जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 शासन को प्राप्त हुई। श्री शिव लाल द्वारा जांच अधिकारी को दिये गये अपने बचाव उत्तर तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-5-2013 द्वारा श्री शिव लाल, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी का स्थानान्तरण प्रखण्ड-मऊ में किया गया था, किन्तु स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त होने वाले प्रखण्ड-झॉसी में किसी अधिशासी अभियन्ता की तैनाती तत्समय नहीं की जा सकी थी। कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के लिये निर्गत स्थानान्तरण नीति दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के प्रस्तर-12 के उपप्रस्तर-3 में यह निर्देश दिये गये हैं कि बुन्देलखण्ड में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। प्रखण्ड-झॉसी में प्रतिस्थानी की तैनाती न होने के कारण तत्समय श्री शिव लाल द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान प्रखण्ड-मऊ में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा सका था। अत: सम्यक विचारोपरान्त

प्रश्नगत प्रकरण में श्री शिव लाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी को दोषी न पाते हुए उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3080/92-2013-75(अधि0)/2013, दिनांक 29-8-2013 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-26/4708(1)/92-2014-तददिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- श्री शिव लाल, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।